

#13/2

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन जिला)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1032

दापर दिनांक 01/01/25

निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट



क्र.म..	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	जयपुर	318	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>जयपुर</u> खतासं. <u>318</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कम्-नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
हस्ताक्षर पटवारी			हस्ताक्षर मिसदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			जयपुर मण्डल कपासन	तहसीलदार (भू.रा.)	सहायक कलक्टर
1. पटवारी पटवार मण्डल			कपासन जिला	तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़	(उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गढ़

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.रा.)

तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़